

**न्यायालय :- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के अतिरिक्त  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)  
(पीठासीन अधिकारी:-सिराज अली)**

व्यवहार वाद क्रमांक-29 ए/2014  
संस्थापन दिनांक-09.04.2014  
फाईलिंग क्र. 234503001642014

1-झमलीबाई पति स्व. बारेलाल, उम्र-70 वर्ष, जाति गोंड,  
निवासी-ग्राम डेंडवा, तहसील परसवाड़ा,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2-प्रेमबतीबाई पिता स्व. बारेलाल, पति फूलसिंह मसराम, उम्र-45 वर्ष, जाति गोंड,  
निवासी-ग्राम डेंडवा, तहसील परसवाड़ा,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

3-सोनाबाई पिता स्व. बारेलाल, पति कार्तिकराम कुशारे, उम्र-42 वर्ष, जाति गोंड,  
निवासी-ग्राम निक्कुम, तहसील बिरसा,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **वादीगण**

**विरुद्ध**

1-रामबतीबाई पति स्व. बारेलाल, उम्र-65 वर्ष, जाति गोंड,  
निवासी-ग्राम डेंडवा, तहसील परसवाड़ा,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2-चैनबतीबाई पिता स्व. बारेलाल, पति पिरमूसिंह मेरावी, उम्र-38 वर्ष, जाति गोंड,  
निवासी-ग्राम डेंडवा, तहसील परसवाड़ा,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

3-म.प्र राज्य द्वारा कलेक्टर बालाघाट,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **प्रतिवादीगण**

**-: / / निर्णय / / :-**

**(आज दिनांक-10/03/2016 को घोषित)**

1- वादीगण ने यह व्यवहार वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध मौजा डेंडवा प.ह. नं. 11/31 रा.नि.मं. मजगांव तहसील बैहर, जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर-14/1, 15, 22/1, 23/1, 23/7, 39/1 कुल रकबा 7.92 एकड़ भूमि पर प्रत्येक वादी को 1/4 अंश का स्वत्व प्राप्त होने, विक्रय पत्र दिनांक-28.03.2012 को

प्रभावशून्य घोषित किये जाने और अपने अंश का पृथक आधिपत्य दिलाये जाने के साथ स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है।

2— प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।

3— वादीगण का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि मूल पुरुष शिवलाल के दो पुत्रगण धनसिंह एवं बेनीसिंह थे, जो फौत हो चुके हैं। धनसिंह के दो पुत्र बारेलाल एवं चमार हैं, जिन्हें पैतृक भूमि विरासतन हक में प्राप्त हुई है। बारेलाल की प्रथम पत्नी चैनबतीबाई थी, जो निसंतान फौत होने पर बारेलाल ने जाति रीति-रिवाज के अनुसार वादी क्रमांक-1 से विवाह किया, जिससे वादी क्रमांक-2 एवं 3 उत्पन्न हुये। बारेलाल का दूसरा विवाह प्रतिवादी क्रमांक-1 झमलीबाई से हुआ, जिससे एकमात्र पुत्री प्रतिवादी क्रमांक-2 है। बारेलाल को पैतृक भूमि में से विभाजन उपरान्त उसके हिस्से की विवादित भूमि पर वह अपने जीवनकाल तक काबिज कास्त रहा है। बारेलाल वर्ष 2008-09 में फौत हो चुका है। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने बारेलाल की मृत्यु उपरान्त विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में स्वयं अकेले का नाम दर्ज करवा कर सम्पूर्ण विवादित भूमि का अवैध रूप से प्रतिवादी क्रमांक-2 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया है। विवादित भूमि पर बारेलाल के उत्तराधिकारी के रूप में प्रत्येक वादीगण को 1/4 अंश प्राप्त है। वादीगण ने विवादित भूमि पर 1/4, 1/4 अंश के आधार पर विवादित भूमि के 5/94 एकड़ भूमि पर अपना स्वत्व प्राप्त होने का विक्रय पत्र दिनांक-28.03.2012 को प्रभावशून्य घोषित किये जाने, अपने अंश के अनुसार कब्जा दिलाये जाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है।

4— प्रतिवादी क्रमांक-1 एवं 2 ने लिखित कथन में आवेदन पत्र के सम्पूर्ण अभिवचन से इन्कार करते हुये कथन किये हैं कि वादी क्रमांक-1 का लगभग 54-55 वर्ष पूर्व ग्राम हर्राभाट निवासी गन्नू के साथ विवाह सम्पन्न हुआ था और उसके दाम्पत्य जीवन निर्वहन से ही वादी क्रमांक-1 को वादी क्रमांक-2 एवं 3 पुत्रियाँ उत्पन्न हुई थी। वादी क्रमांक-1 ने अपने विवाहित पति गन्नू का साथ छोड़कर बारेलाल के यहां अपनी संतान सहित काम काज करने आई तथा इस बीच डेंडवा निवासी छोटू बल्द मानू से पाठ विवाह कर लिया। वादीगण का स्वर्गीय बारेलाल के साथ किसी प्रकार का संबंध एवं नातेदारी नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक-1 बारेलाल की विवाहिता पत्नी तथा प्रतिवादी क्रमांक-2 बारेलाल की पुत्री है। बारेलाल के फौत होने के उपरान्त उसके

स्वत्व की विवादित सम्पत्ति पर गोंड जाति एवं प्रथा के अनुसार लड़कियों का हक एवं अधिकार नहीं होने से केवल प्रतिवादी क्रमांक-1 का ही नाम विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में विधिवत् दर्ज हुआ। बारेलाल के फौत होने के उपरान्त वादीगण ने असत्य आधार पर यह दावा पेश किया है। अतएव वादीगण का आवेदन सव्यय निरस्त किया जावे।

5— प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक-3 की ओर से लिखित कथन पेश नहीं किया गया है तथा वह पूर्व से एकपक्षीय है।

6— उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित हैं :-

क्रं.	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या मौजा डेंडवा, प.ह.नं. 11/31, रा.नि.मं. मझगांव, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 14/1, 15, 22/1, 23/1, 23/7, 39/1 रकबा क्रमशः 0.18, 5.58, 0.56, 0.40, 0.15, 1.05 एकड़ कुल रकबा 7.92 एकड़ भूमि पर वादीगण प्रत्येक का 1/4 अंश का स्वत्व प्राप्त है ?	प्रमाणित नहीं
2	क्या प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-2 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक-28.03.2012 अवैध होने से वादीगण पर प्रभावशून्य है ?	प्रमाणित नहीं
3	क्या वादीगण विवादित भूमि का अपने अंश के आधार पर बंटवारा करवाकर, पृथक आधिपत्य प्राप्त करने के हकदार हैं ?	प्रमाणित नहीं
4	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की अंतिम कंडिका अनुसार

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

वादप्रश्न क्रमांक-1 से 3 का निराकरण

7— उक्त सभी वादप्रश्न का निराकरण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। वादीगण की ओर से विवादित भूमि के विक्रय पत्र की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-3 पेश की गई है। इसी विक्रय पत्र की मूल प्रति प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रदर्श डी-7 पेश की गई है जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विवादित भूमि का विक्रय प्रतिवादी क्रमांक-1 ने प्रतिवादी क्रमांक-2 के पक्ष में निष्पादित कर विवादित

भूमि का कब्जा सौंप दिया है। विवादित भूमि की भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका प्रदर्श डी-8 में चैनबतीबाई का नाम दर्ज होना प्रकट होता है। इसी प्रकार उक्त विक्रय उपरान्त विवादित भूमि के खसरा फार्म वर्ष 2015-16 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-10 में विवादित भूमि के भूमि स्वामी के रूप में प्रतिवादी क्रमांक-2 चैनबतीबाई का नाम दर्ज होना प्रकट होता है।

8- वादीगण की ओर से प्रस्तुत अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-5 में धनसिंह एवं बेनीसिंह के नाम पर भूमि स्वामी के रूप में भूमि प्राप्त होने और उसके पश्चात् उसी भूमि में से 7.92 एकड़ भूमि विरासतन हक से बारेलाल को संशोधन पंजी दिनांक-20.10.1997 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-6 के अनुसार प्राप्त होना प्रकट होता है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत पांचसाला खसरा वर्ष 1991-92 से लगायत 1994-95 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-7, पांचसाला खसरा वर्ष 2006-07 से वर्ष 2009-10 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-8, पांचसाला खसरा वर्ष 2009-10 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-9 से प्रकट होता है कि विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में बारेलाल का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज रहा है। इस प्रकार विवादित भूमि बारेलाल के स्वत्व की भूमि होना प्रकट होता है।

9- वादी पक्ष की ओर से स्वयं वादी प्रेमबतीबाई (वा.सा.1), महारूसिंह (वा.सा.2), चमारसिंह (वा.सा.3) एवं अंदनसिंह (वा.सा.4) की साक्ष्य कराई गई है। वादी प्रेमबतीबाई (वा.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि उसकी माँ झमलीबाई ने बारेलाल के यहां रहते हुए तीसरी शादी अर्ध शिवदयाल के साथ कर ली थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि गन्नू के साथ झमलीबाई के छोड़-छुट्टी या विवाह-विच्छेद का कोई दस्तावेज नहीं है और न ही सामाजिक तौर पर कोई छोड़-छुट्टी हुई है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि कानूनी रूप से एवं सामाजिक तौर पर गन्नू की पत्नी झमलीबाई ही है, क्योंकि आज तक उनके मध्य कोई विवाह-विच्छेद नहीं हुआ है। इस प्रकार साक्षी ने यह तथ्य स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वादी क्रमांक-1 झमलीबाई के पूर्व पति गन्नू से उसके वैवाहिक संबंध कानूनी रूप से या सामाजिक तौर पर समाप्त नहीं हुए थे। उक्त तथ्य को वादी साक्षी महारूसिंह (वा.सा.2) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है।

10— वादीगण के ही अन्य साक्षी अंदनसिंह (वा.सा.4) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वादी क्रमांक-1 झमलीबाई अपने पति गन्नू को छोड़कर उसके भाई मेहरू के यहां रहने चले गई थी और वहां रहते हुए बारेलाल के यहां काम-काज कर रही थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि बारेलाल के यहां काम-काज करते हुए झमली ने डेंडवा निवासी छोटू को बनाई थी। उक्त का आशय झमलीबाई के द्वारा छोटू से पाठ विवाह किये जाने का निकाला जा सकता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि झमलीबाई ने छोटू को छोड़कर अंधरा उर्फ मिन्दरा से पाठ शादी की थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि झमलीबाई ने दो-तीन लोगों के साथ शादी की है।

11— प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रतिवादी चैनबतीबाई (प्र.सा.2), श्यामलाल (प्र. सा.3) ने वादपत्र के अभिवचन के अनुरूप अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि वादी क्रमांक-1 का गन्नू के साथ विवाह होने पर उसने उसके पति को छोड़कर बारेलाल के घर काम-काज करते हुए डेंडवा निवासी छोटू वल्द मानू से पाठ विवाह कर लिया था और कुछ अंतराल बाद छोटू से विवाद होने पर डेंडवा निवासी अंधा उर्फ मिन्दरा को अपना पति बना लिया था। वादीगण की बारेलाल से कोई नातेदारी नहीं है। साक्षीगण के उक्त कथन का वादी पक्ष की ओर से खण्डन नहीं किया गया है। स्वयं वादी साक्षीगण के कथन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वादी क्रमांक-1 के पूर्व पति गन्नू से उसका विवाह विच्छेद या छोड़-छुट्टी कानूनी रूप से या सामाजिक रूप से नहीं हुई थी।

12— वादी पक्ष की ओर से वादी क्रमांक-1 झमलीबाई का बारेलाल से वैवाहिक संबंध होने या बारेलाल की पत्नी के रूप में निवासरत् होने के संबंध में सर्वोत्तम साक्षी के रूप में स्वयं वादी क्रमांक-1 झमलीबाई ने अपने कथन न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये हैं। वादी क्रमांक-1 झमलीबाई ने अपनी साक्ष्य न्यायालय में उपस्थित होकर पेश न किये जाने का कोई कारण नहीं बताया है। ऐसी दशा में किसी पक्षकार द्वारा सर्वोत्तम साक्ष्य उपलब्ध होने पर भी न्यायालय के समक्ष पेश न किये जाने से उसके विरुद्ध प्रतिकूल उपधारणा की जा सकती है कि मामला उसके पक्ष में नहीं बनता है।



13— वादिनी झमलीबाई का पूर्व पति से विवाह विच्छेद या छोड़-छुट्टी न होना तथा उसके द्वारा बारेलाल से वैवाहिक संबंध स्थापित होना भी प्रमाणित नहीं है। ऐसी दशा में यदि तर्क के लिए झमलीबाई का बारेलाल के साथ कुछ दिनों तक काम-काज हेतु निवास करना मान भी लिया जाए तो भी यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि झमलीबाई और बारेलाल पति-पत्नी के रूप में निवासरत् रहें हैं। इस प्रकार वादी क्रमांक-1 झमलीबाई को साक्षी के रूप में पेश न करने से, दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में एवं वादी साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में किये गए स्वीकारोक्ति के साथ प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत अखण्डित साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि वादिनी क्रमांक-1 झमलीबाई का बारेलाल से कोई नातेदारी नहीं थी।

14— प्रकरण में वादिनी क्रमांक-1 झमलीबाई एवं बारेलाल के बीच पति-पत्नी के संबंध होना स्थापित नहीं है। ऐसी दशा में वादी क्रमांक-2 व 3, बारेलाल की वैध संतान होना भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता। यद्यपि वादी क्रमांक-2 व 3 का बारेलाल की अधर्मज संतान होने के संबंध में प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण किया जा सकता है। इस संबंध में वादीगण की ओर से वादी क्रमांक-2 व 3 के पिता के रूप में बारेलाल का नाम दर्ज होने बाबद् कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। स्वयं वादी साक्षीगण के कथन से यह स्पष्ट है कि वादिनी क्रमांक-1 झमलीबाई के पूर्व पति गन्नू से विवाह-विच्छेद कानूनी रूप से या सामाजिक रूप से नहीं हुआ था तथा वह गन्नू को छोड़कर डेंडवा निवासी छोटू वल्द मानू से पाठ विवाह कर लिया था और कुछ अंतराल बाद छोटू से विवाद होने पर डेंडवा निवासी अंधा उर्फ मिन्दरा को अपना पति बना लिया था।

15— वादी प्रेमबतीबाई (वा.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने बारेलाल की लड़की होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। वादी झमलीबाई के भाई महारूसिंह (वा.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वादी क्रमांक-2 व 3 का विवाह उसके घर से हुआ है। उसका तथा बारेलाल का घर अलग-अलग है। अंदनसिंह (वा.सा.4) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि वादी क्रमांक-2 व 3 का विवाह उनके मामा के घर से हुआ था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि बारेलाल के फौत होने पर उसका अंतिम संस्कार प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 ने किया था। इस तथ्य को चमार सिंह (वा.सा.3) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है। इस प्रकार स्वयं वादी साक्षीगण के कथन से ही यह

अनुमान निकाला जा सकता है कि यदि वादी क्रमांक-2 व 3 का बारेलाल से नातेदारी होती तो स्वाभाविक रूप से उनका विवाह बारेलाल के घर से संपन्न होता या बारेलाल के द्वारा उनका विवाह कराया जाता। वास्तव में वादीगण की ओर से वादी क्रमांक-2 व 3 के पिता बारेलाल होने के संबंध में वादपत्र में स्पष्ट अभिवचन नहीं किये गए हैं और न ही ऐसी साक्ष्य प्रकरण में प्रस्तुत है।

16— प्रकरण में स्वयं वादीगण ने अपने अभिवचन में बारेलाल की पत्नी प्रतिवादी क्रमांक-1 एवं पुत्री प्रतिवादी क्रमांक-2 होना प्रकट किया है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत सभी साक्षीगण ने उक्त तथ्य को स्वीकार किया है और प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का वादी पक्ष की ओर से खण्डन नहीं किया गया है। वादी प्रेमबतीबाई (वा.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि बारेलाल की पहली पत्नी चैनबतीबाई के फौत होने के बाद उसने प्रतिवादी क्रमांक-1 रामबतीबाई से पाठ विवाह किया था। महारुसिंह (वा.सा.2), चमारसिंह (वा.सा.3), अंदनसिंह (वा.सा.4) ने भी अपनी साक्ष्य में बारेलाल की विवाहिता पत्नी प्रतिवादी क्रमांक-1 एवं वैध पुत्री प्रतिवादी क्रमांक-2 होना स्वीकार किया है। इस प्रकार यह तथ्य प्रमाणित है कि बारेलाल की प्रथम पत्नी ला-औलाद फौत होने के उपरान्त बारेलाल ने प्रतिवादी क्रमांक-1 से विवाह किया था और उनके दांपत्य जीवन से पुत्री प्रतिवादी क्रमांक-2 उत्पन्न हुई थी।

17— वादीगण ने बारेलाल से कथित नातेदारी प्रमाणित नहीं की गई है, ऐसी दशा में वादीगण को बारेलाल की संपत्ति पर किसी प्रकार से हक प्राप्त होना प्रकट नहीं होता है। वादीगण को प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-2 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र को चुनौती दिए जाने का भी अधिकार प्राप्त नहीं है। वैसे भी प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-2 के पक्ष में विवादित भूमि का अंतरण रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम से किया जाना प्रकट होता है। इस कारण वादीगण को उक्त विक्रयपत्र को प्रभावशून्य घोषित किये जाने हेतु वाद कारण प्राप्त न होने उक्त के संबंध में अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता।

18— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि वादीगण ने यह तथ्य प्रमाणित नहीं किया है कि वादी क्रमांक-1 बारेलाल की पत्नी तथा वादी क्रमांक-2 व 3 बारेलाल की पुत्रीगण है। इस कारण बारेलाल की संपत्ति में

वादीगण को उत्तराधिकार या कोई हक प्राप्त न होने से विवादित संपत्ति पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। वादीगण को प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-2 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को प्रभावशून्य घोषित किये जाने एवं विवादित भूमि का बंटवारा कराकर आधिपत्य प्राप्त करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक-1 से 3 "प्रमाणित नहीं" के रूप में निराकृत किये जाते हैं।

### सहायता एवं व्यय

19— वादीगण ने अपना वाद प्रमाणित नहीं किया है। अतएव वादीगण का वाद निरस्त कर वाद में निम्नानुसार आज़प्ति पारित की जाती है :—

- (1) वादीगण का दावा निरस्त किया जाता है।
- (2) वादीगण स्वयं के साथ प्रतिवादीगण का भी वाद व्यय वहन करेंगे तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।

उपरोक्तानुसार आज़प्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,  
बैहर

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,  
बैहर